पूर्व मध्य रेल
संशोधन पर्ची सं.–02
दुर्घटना नियमावली
(संस्करण–2018)

निम्नलिखित संशोधन दुर्घटना नियमावली, 2018 में किया गया है। इन अनुदेशों को अब से कार्यान्वित किया जाए।

पृष्ठ सं0 204 पर परिशिष्ट–आई (बी) के नियम **1.** को हटाकर इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें।

सा.का.नि. 577 (अ)– केंद्र सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 122 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेलवे (दुर्घटनाओं की सूचना एवं जांच) नियम, 1998 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः–

(1) इन नियमों को रेलवे (दुर्घटनाओं की सूचना एवं जांच) संशोधन नियम, 2019 कहा जाएगा।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

प्राधिकारः– भारत का राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 577(अ) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) नई दिल्ली, दिनांकः 19 अगस्त, 2019

....

2. **पृष्ठ संख्या 208** पर रेलवे (दुर्घटनाओं की सूचना एवं जांच) नियम, 1998 के नियम **9. रेल संरक्षा आयुक्त की शक्तियों** के बाद निम्नलिखित रखा जाए। अर्थात्–

"**9 क** (1) आहत व्यक्तियों अथवा मृत व्यक्तियों के नाम एव पते की रिपोर्ट रेल दावा अधिकरण की मुख्य पीठ को भेजी जाएगी। जहाँ भी मृत यात्री के निकटतम संबंधी का नाम ज्ञात हो, उक्त सूचना भी रेल दावा अधिकरण की मुख्य पीठ को जायेगी।

(2) दुर्घटनाओं के पीड़ितों अथवा दावेदारों को कानूनी सहायताः–रेल प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह रेल दुर्घटना में घायल अथवा मृत व्यक्तियों के नाम रेल दावा अधिकरण की मुख्य पीठ को भेजें ताकि उनकी रेल दावा अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए तरीके से मुआवजा प्राप्त करने में उनकी उचित कानूनी सहायता की जा सके, और जहाँ सूचना उपलब्ध हो, निकटतम संबंधी के नाम भी रेल दावा अधिकरण की प्रधान पीठ को भेजें जाएं।"

प्राधिकारः– भारत का राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 577(अ) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) नई दिल्ली, दिनांकः 19 अगस्त, 2019

(सलिल कुमार झा)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर।

दिनांक– 18.12.2019